No. 36/40/84-4HBII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Parliament Act 37 of 1954) read with Rules 8 of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana, resinds the appointment of Shri Faqir Chand Verma T. S. I. as Food Inspector and amend the Haryana Government, Health Department notification No. 36/40/84-4HBII, dated 20th December, 1983 accordingly.

The 13th December, 1984

No. 45/155/81-5HBII.—The Governor of Haryana is pleased to declare the post of Assistant Entomologist in the grade of Rs. 700—1,250 in the Office of Joint Director, Malaria, Haryana as Gazetted Class-II with immediate effect.

M. SETH,

Financial Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

REVENUE DEPARTMENT

The 7th December, 1984

No. 7576-R-III-84/33508.—In exercise of the powesr conferred by section 48 of the Land Acquisition Act, 1894 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby withdraws from the acquisition of the land with respect to which Haryana Government Public Works Department, Buildings and Roads Notification No. 14/37/81-PWIV (2), dated the 3rd November, 1981 under section 4 of the said Act was issued and declaration under section 6 thereof was made with Haryana Government, Public Works Department, Buildings and Roads Branch Notification No. 14/37/81-PWIV (2) the 25th June, 1982.

Chandigarh, dated
the 14th November, 1984

L. C. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.

राजस्व विभाग

दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

संख्या 7576-र-3-84/33508.—भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 48 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके उस भूमि को, जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़क शाखा, अधिसूचना संख्या 14/37/81-पी डब्ल्यु iv (2), दिनांक 3 नवम्बर, 1981 जारी की गई थी और उसकी धारा 6 के अधीन, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़क शाखा अधिसूचना संख्या 14/37/81-पी डब्ल्यु iv (2) दिनांक 25 जून, 1982 द्वारा घोषणा की गई थी, अर्जन से प्रत्यहृत करते हैं।

एल० सी० गुप्ता,

चण्डीगढ़, दिनांक
14 नवम्बर, 1984

सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 27 नवम्बर, 1984

सं. औ. वि./हिसार/75-84/42238.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. 1. हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार, 2. विभाग अध्यक्ष एग्रीकल्चरल एकोनोमिकस, हरियाणा, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार के श्रमिक श्री साहब राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए,एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक, को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री साहब राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं .ओ.वि./हिसार/66-84/42245.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. कोपरेटिव मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सोसायटी शाखा रतियां, हिसार, के श्रमिक श्री मामन राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मामन राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./हिसार/94-84/42251.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. जनता मैटरनिटी होस्पीटल, सिरसा, के श्रमिका आशा देवी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या आशा देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 28 नवम्बर, 1984

सं. ओ. वि./पानीपत/102-84/42264.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. ठेकेदार, नटराज इन्टरप्राईजिज, कोल हैन्डलिंग प्लान्ट मार्फत एन० एफ० एल० पानीपत । (2) सैसर्ज एन० एफ० एल० पानीपत के श्रमिक श्री राम सरिखन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 10 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राम सरिखन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

बी० पी० सहगल,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।